यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–132/2022 दायर दिनांक: 05.07.2022
GCMS NO:- 2022/256 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बाबूलाल आ0 लोडक्या जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
2. सीमाराम आ0 भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
3. महावीर आ0 भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
4. कैलाश बाई पुत्री भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
5. कौशल्या बाई पत्नी भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
6. गीता बाई पुत्री लोडक्या जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
7. ममता पुत्री भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।
8. मनोज आ0 भंवरलाल जाति लुहार नि0 मोतीपुरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल आ0 भंवरलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा।
2. गोपाल आ0 भंवरलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा।
3. केली देवी पत्नी रामेश्वर जाति मीणा नि0 मोतीपुरा।
4. मनभर पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा।
5. अशोक कुमार आ0 बाबूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री शंकर लाल शर्मा

निर्णय दिनांक 19.03.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा में खसरा नम्बर 728 रकबा 1.3268 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे कैलाशबाई पुत्री भंवरलाल हिस्सा 1/18 जाति लुहार सा. देह खातेदार, कौशल्याबाई पत्नी स्व. भंवरलाल हिस्सा 1/18 जाति लुहार सा0 देई, गीता पुत्री लोडक्या हि0 1/3 जाति लुहार सा0 देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र लोडक्या हि0 1/3 जाति लुहार सा0 देह खातेदार, मनोज पुत्र भंवरलाल हि. 1/18 जाति लुहार सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री भंवरलाल हि0 1/18 जाति लुहार सा0 देह खातेदार, महावीर पुत्र भंवरलाल हि0 1/18 जाति लुहार सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/18 जाति लुहार सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित होना बताया जिससे दोनों पक्षों मे सीमाओं को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करने व पत्थरगढी के आदेश का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमे श्रीमान द्वारा तहसीलदार नैनवॉ को दिनांक 1.06.2022 को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जिसमे पटवारी हल्का द्वारा इस आशय से रिपोर्ट पेश की कि बाद सीमाज्ञान खातेदारों के पास लगभग 4–00 बीघा ही कब्जे मे है तथा पत्थरगढी करवाने के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस तथा नकल सीमाज्ञान आवेदन व सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति आदि पेश किये है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 728 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का मोतीपुरा द्वारा पुर्व मे दिनांक 25.5.2022 को किया जा चुका था जिसमे संपूर्ण रकबा 1.3268 पर प्रार्थीगणों का कब्जा नही पाया गया था अतः संपूर्ण रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ